भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 222

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2022
आषाढ़ 27, 1944 (शक)को दिया जाना है

सोने की तस्करी का मामला

222. एडवोकेट अद्वूर प्रकाशः
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में सोने की तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीमा शुल्क सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच जारी है और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है और मामले में नवीनतम खुलासे पर प्रवर्तन निदेशालय सहित एजेंसियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने केरल राज्य सरकार को सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किसी अधिकारी को फिर से बहाल करने की मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह केंद्रीय जांच एजेंसियों के संज्ञान में आया है कि एक आरोपी ने सोने की तस्करी के मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (5) के अंतर्गत और अधिक सबूतों का खुलासा करते हुए बयान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जांच एजेसियों का सक्षम न्यायालय के समक्ष दिए गए नए साक्ष्यों के आधार पर जांच करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किसी भी आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) जी हां।

दिनांक 12.07.2022 को केरल में सोने की तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अधीन 16.82 करोड़ रु. की परिसंपत्तियों की पहचान और कुर्की की है। इसके अलावा पीएमएलए 2002 की धारा 45 के अधीन 02 अभियोजन शिकायतें (01 अनुपूरक अभियोजन शिकायत सहित) भी विशेष न्यायालय (पीएमएलए) एर्नाकुलम के समक्ष दायर की गई हैं।

सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन ने 05.07.2020 को एयर कारगो कॉम्प्लेक्स, तिरुअनंतपुरम में कूटनीतिज्ञ बैगेज के वेश में सोने की तस्करी के एक मामले की पहचान की थी।मामले की जांच पूरी की गई है तथा उक्त मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तथा इसके साथ ही माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) एर्नाकुलम के समक्ष उक्त मामले में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है।

गृह मंत्रालय के आदेश के आधार पर एनआईए ने यूए (पी) अधिनियम की धारा 16,17 और 18 के तहत दिनांक 10.07.2020 को एक मामला आरसी-02/2020/एनआईए/केओसी (त्रिवेंद्रम सोना तस्करी मामला) रजिस्टर किया था जो सीमा शुल्क (निवारण) आयुक्तालय, कोचीन ओआर सं. 7/2020 दिनांक 05.07.2020 से संबंधित है और जिसका संबंध त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगभग 30 कि.ग्रा. 24 कैरेट सोने की जब्ती से है। एनआईए ने यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 17, 18 और 20 के तहत 5.1. 2021 को 20 आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है।

(ख) जांच एजेंसियों ने इस मामले में गिरफ्तार अधिकारी की बहाली के लिए राज्य सरकार को कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

(ग) आरसी-02/2020/एनआईए/केओसी (त्रिवेंद्रम सोना तस्करी मामला) मामले में, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत 8 आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 (5) के अंतर्गत सोना तस्करी मामला एयर कारगो कॉम्प्लेक्स तिरुवंतपुरम में 2 आरोपियों ने पहले ही अपना बयान दे दिया था, अब मीडिया के माध्यम से यह नोटिस में आया है कि एक आरोपी जिसने पहले बयान दे दिया था जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 (5) के तहत दूसरा बयान दिया है। नए बयान की सामग्री उपलब्ध नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नए इनपुटों के आधार पर मामले को आगे की जांच करते हुए जारी रखा है।

तिरुवंतपुरम केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क जोन को माननीय न्यायालय की ओर से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अनुसार जांच के दौरान जब कभी भी नए साक्ष्य/तथ्य एकत्रित होते हैं, प्रवर्तन निदेशालयआवश्यक कार्रवाईकरता है।

(ङ)आरसी-02/2020/एनआईए/केओसी (त्रिवेंद्रम सोना तस्करी मामला) मामले में, अभियोजन योग्य पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जा सका।

*****